संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम – कामता प्रसाद मैमोरियल शिक्षा समिति,
2. संस्था का पता – बंशीपुरम् नगर निरीक्षण भवन के पीछे, रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :– स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–
   1. **संरक्षक सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को 1001/– रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
   2. **आजीवन सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/– रूपया सदस्यता शुल्क़ के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
   3. **साधारण सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 251/– रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।
   4. **विशिष्ट सदस्य** :– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. मृत्यु होने, पागल या दिवालिया होने पर।
   2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
   3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थिति होने पर।
   4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।
   5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
   6. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
   7. संस्था के अहित में कार्य करने पर।

7. **संस्था के अंग** :– **(अ)** साधारण सभा, **(ब)** प्रबन्धकारिणी समिति

8. **साधारण सभा** :– **अ. गठन** :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

   ब. बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

   स. सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

रामवरन

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुम सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. **विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि** :– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेश प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/ बहुमत से तय की जायेगी।

र. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत र कराना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति** :–

अ. **गठन** :– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

प्रबन्ध समिति में सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जो कि कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

ब. **बैठकें** :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

स. **सूचना अवधि** :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. **रिक्त स्थान की पूर्ति** :– प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी।

र. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन–परिवर्तन, परिबर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

ल– **कार्यकाल** :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

संस्था अपने विकास कार्यों के लिए सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकती है एवं बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है व अपनी सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख सकती है।

10. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. अध्यक्ष –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

रामबरन

2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा अपना निर्णायक मत देना।

2. उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सौंपे गये स्वीकृ कार्यों को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

3. प्रबन्धक / सचिव

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र करना, मीटिंग बुलाना उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पू रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रचार–प्रसार करना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत काय को करना व संस्था की आम देखभाल करना।
4. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान तथ अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।
5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
6. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

4. उपप्रबन्धक / उपसचिव

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की उपस्थिति में उनके कार्यो में सहयोग प्रदान करना तथा अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये कार्यो को करना।

5. कोषाध्यक्ष

1. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना।
2. संस्था के प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्यो को करना।

11. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परिक्षण (ऑडिट) :–

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य ऑडिटर व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व :–

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

रामवरन

16. **संस्था के अभिलेख :–**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेंडा रजिस्टर
4. स्टाक रजिस्टर
5. कैश बुक आदि।

16. **प्रतिबन्ध –**

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उक्त परिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

5– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8– विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/प्राप्त पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमान्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

10– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। विद्यालय काक रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा। यदि हॉ तो कृपया प्रबंधकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1 से 10 तक स्वीकार हैं।

17. **संस्था का विघटन :–**

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटन होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक :– 01/06/2021

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
8/6/2021

2101921

कामता प्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति

वन्शीपुरम , नहर निरीक्षण भवन के पीछे , रेलवे स्टेशन रोड , शिकोहाबाद

जनपद फिरोजाबाद

प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष 2021- 22

क्र०सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री एस सी सिंह	स्व०श्री कामता प्रसाद	ग्रा०सूखाताल पो०नगला गुलाल , शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद	अध्यक्ष	समाज सेवा
2	श्रीमती प्रियंका (P) यादव	श्री अभिलाख सिंह यादव	ई–2/39 भिण्ड मार्ग, हनुमान नगर, गोले का मन्दिर, गिर्द ग्वालियर रेंजीडेंसी, ग्वालियर म0प्र0	उपाध्यक्ष	गृहकार्य
3	श्री कैलाश चन्द्र यादव	श्री सुरेश चन्द्र यादव	वन्शीपुरम , नहर निरीक्षण भवन के पीछे , रेलवे स्टेशन रोड , शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद	प्रबंधक	स०सेवा
4	श्रीमती रश्मि यादव	श्री अशोक यादव	मीरपुर कैंट , कानपुर	उप - प्रबंधक	गृहकार्य
5	डॉ युवराज यादव (XI)	श्री सुरेश चन्द्र यादव	सेवेन हिल्स स्कूल इटावा	कोषाध्यक्ष	स०सेवा
6	श्री रामबरन सिंह यादव	स्व०श्री महावीर सिंह यादव	ग्राम छितौनी , पोस्ट खर्दूली जनपद फिरोजाबाद	सदस्य	स०सेवा
7	श्रीमती शाहनाज़ खां (N)	श्री आज़म खान	26/15 तिलक बाजार , छोटा धनकोट आगरा , सिविल लाइन आगरा	सदस्य	गृहकार्य

प्रथम पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

1. रतना
2. रामबरन

नवीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

1. Yuvraj
2. Priyanka
3. Shahnaz

2/1/2021

रामबरन

Rashmi

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00637/2020-2021 दिनांक 28/07/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/FIR/02939/2020-2021 पत्रावली संख्या:AG 38193 दिनांक:2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कामता प्रसाद मैमोरियल शिक्षा समिति,, बंशीपुरम् नगर निरीक्षण भवन के पीछे, रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।, फिरोजाबाद , **205141** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-2497/2004-05 दिनांक-06/01/2005 को दिनांक-06/01/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 28/07/2020 2:38:37 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-28/07/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Save Certificate